

सेक्स ट्रैफिकिंग की नषिक्रयिता पर सर्वोच्च न्यायालय की चर्चाएँ

प्रलम्बिस के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, भारतीय न्याय संहति, 2023, संगठति अपराध, रोहगिया शरणार्थी, अनुसूचति जात, दकषणि एशियाई कषेत्रीय सहयोग संगठन](#)

मेन्स के लयि:

महलियों से संबंघति मुद्दे, मानव तस्करी, सेक्स ट्रैफिकिंग और लैंगकि शोषण

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सेक्स ट्रैफिकिंग के खलिाफ व्यापक कानून लागू करने में केंद्र सरकार की वफिलता पर गंभीर असंतोष व्यक्त कयि। सरकार ने 'संगठति अपराध जाँच एजेंसी' (OCIA) स्थापति (या व्यापक तस्करी वरिधी कानून नहीं बनाने) करने के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2015 के नरिदेश का पालन नहीं कयि।

- इस वफिलता ने सेक्स ट्रैफिकिंग के बढ़ते खतरे से नपिटने के लयि मौजूदा ढाँचे की प्रभावशीलता के बारे में महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ उत्पन्न कर दी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय OCIA की स्थापना को लेकर चर्चिति क्योँ है?

- न्यायालय के नरिदेशों के बावजूद नषिक्रयिता: [2015 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को सेक्स ट्रैफिकिंग से नपिटने के लयि OCIA की स्थापना करने का नरिदेश दयि।](#)
 - हालाँकि, 30 सतिंबर, 2016 की अंतमि तथिति तथा 1 दसिंबर, 2016 की नयोजति परचालन तथिति के बावजूद, एजेंसी कगठन नहीं हो पाया है, जसिसे सेक्स ट्रैफिकिंग के खलिाफ प्रभावी कार्रवाई में देरी हो रही है।
- तस्करी से नपिटने का महत्त्व:
 - मामलों की उच्च मात्रा: गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 और 2022 के बीच 10,659 से अधिक तस्करी के मामले दर्ज कयि गए, जो दर्शाता है कतिस्करी एक प्रणालीगत मुद्दा बना हुआ है।
 - प्रतविरष औसतन लगभग 2,000 मामले सामने आते हैं, जो सुदृढ़ नीतयिों, कानून प्रवर्तन और सामुदायकि जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
 - उच्च गरिफ्तारयिों के बावजूद दोषसदिधि दर कम: यदयपि पिछले कुछ वर्षों में हज़ारों लोगों को गरिफ्तार कयि गया, फरि भी दोषसदिधि दर बेहद कम है।
 - गरिफ्तारी और दोषसदिधि के बीच यह अंतर अपर्याप्त जाँच और न्यायालय में मामले की कमज़ोर प्रस्तुति जैसे मुद्दों की ओर इशारा करता है।
 - पीड़ितों की भेदयता: तस्करी के शकिार कई लोग \ आर्थकि रूप से वंचति पृष्ठभूमि से आते हैं, जनिहें अक्सर पर्याप्त सहायता नहीं मलि पाती है।
 - पीड़ितों को मुआवजा राशिवितरिति करने में आने वाली चुनौतयिों उनकी कमज़ोरयिों को और बढ़ा देती हैं, जसिसे कभी-कभी वत्तिय कठनिाई और संसाधनों की कमी के कारण वे न्यायालय में अपने बयान से पलट जाते हैं।
 - पीड़ितों को सहायता: तस्करी रोधी इकाइयों और खुफिया तंत्र में सुधार के बावजूद, दोषसदिधि की कम दरें, बेहतर कानून प्रवर्तन प्रशकिषण, मज़बूत पीड़ति सहायता तथा अधिक प्रभावी मामले से नपिटने के लयि शीघ्र मुआवजे की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की चर्चाओं पर सरकार की प्रतिकरिया:
 - लंबति वधिायी प्रयास: सरकार ने पहले [मानव तस्करी \(रोकथाम, संरक्षण और पुनरवास\) वधिायक, 2018](#) का मसौदा तैयार कयि था, जो [लोकसभा](#) में पारति हो गया, लेकिन वर्ष 2019 में [राज्यसभा](#) में पेश कयि बनिा ही व्यपगत हो गया।
 - इस वधिायी चूक के कारण व्यापक तस्करी वरिधी कानून के प्रतप्रतबिद्धता को पूरा करने में देरी हुई है।
 - NIA को सेक्स ट्रैफिकिंग के मामलों में भूमकि सौपी गई: अतरकिक्त सॉलसिटर जनरल (ASG) द्वारा प्रतनिधितित्व कयि गए केंद्र

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि सरकार द्वारा OCIA की स्थापना के बजाय राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को सेक्स ट्रेफिकिंग के मामलों को संभालने का अतिरिक्त कार्य सौंपने का फैसला किया गया है।

- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस दृष्टिकोण की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया तथा इस बात पर बल दिया कि NIA के पास तस्करी पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिये संसाधनों और अधिदेश की कमी हो सकती है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 का संदर्भ: ASG ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 111 और 112) के हालिया प्रावधानों में संगठित अपराध से निपटने के उपाय शामिल हैं, जिनमें सेक्स ट्रेफिकिंग से निपटने के लिये एक आंशिक फ्रेमवर्क का सुझाव दिया गया है।

भारत में सेक्स ट्रेफिकिंग किस प्रकार जारी है?

- **प्रवास के माध्यम से शोषण:** महिलाओं और लड़कियों को (वर्षीय रूप से गरीब क्षेत्रों से) तस्करों द्वारा शहरों में नौकरी का लालच देकर लाया जाता है।
 - इसके बाद उन्हें घरेलू कार्य, स्या और ब्यूटी पार्लरों में कार्य करने के लिये मजबूर किया जाता है जहाँ उन्हें अक्सर यौन या शर्म तस्करी से गुजरना पड़ता है।
 - दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में शोषण बड़े पैमाने पर होता है, जहाँ तस्कर बेहतर आर्थिक अवसरों का वादा करके अवसर का फायदा उठाते हैं।
- **व्यावसायिक सेक्स ट्रेफिकिंग:** भारत में प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति और जनजात सहित हाशिये के समुदायों की महिलाएँ और लड़कियाँ तस्करी की शिकार होती हैं।
 - तस्करों ने सेक्स ट्रेफिकिंग के कार्य को पारंपरिक रेड-लाइट क्षेत्रों से हटाकर डांस बार और नज्जी आवासों जैसे अधिक गुप्त स्थानों पर स्थानांतरित किया है, जिससे इनका पता लगा पाना जटिल हो गया है।
 - व्यावसायिक देह व्यापार में अधिकांश नाबालग भी संलग्न हैं। यह ऋण जाल में फँस जाने के कारण इस स्थिति से मुक्त होने में असमर्थ हो जाती हैं।
 - तस्कर, डिजिटल प्लेटफॉर्म को तीव्रता से अपना रहे हैं जिसके कारण सेक्स ट्रेफिकिंग का विकेंद्रीकरण पारंपरिक वेश्यालयों से परे छोटे प्रतष्ठानों और नज्जी आवासों तक हो रहा है।
- **सांस्कृतिक शोषण:** कुछ क्षेत्रों में दलित महिलाओं और लड़कियों का “देवदासी” या “जोगिनी” जैसी प्रथाओं के तहत शोषण किया जाता है, जहाँ उनका औपचारिक विवाह देवताओं से कर दिया जाता है, लेकिन स्थानीय समुदायों द्वारा उन्हें यौन शोषण के लिये मजबूर किया जाता है।
 - धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी सेक्स ट्रेफिकिंग के लिये अनुकूल स्थल (तस्कर इन स्थानों का उपयोग कमजोर महिलाओं और बच्चों का शोषण करने के लिये करते हैं) बन चुके हैं।
 - हालाँकि मध्य प्रदेश के बाँछड़ा जैसे कुछ आदिवासी समुदायों में वेश्यावृत्त को जीवनयापन का साधन (जहाँ लड़की के जन्म को वेश्यावृत्त के माध्यम से कमाई का अवसर समझा जाता है) माना जाता है।
 - वेश्यावृत्त को सामान्य मानने से सेक्स ट्रेफिकिंग को बढ़ावा मिलता है और इससे महिलाओं का शोषण होता है।
- **सीमा पार तस्करी:** राज्यों के बीच तथा नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमति सहयोग के कारण सीमा पार तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में बाधा आती है।
 - मानव तस्करी से निपटने और पीड़ितों के शीघ्र प्रत्यावर्तन से संबंधित समझौते अभी भी अधूरे हैं।
 - तस्कर मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और रोहिंगिया शरणार्थियों की महिलाओं और लड़कियों को भी अपना नशाना बनाते हैं तथा अक्सर रोजगार के झूठे बहाने बनाकर भारत में यौन शोषण और शर्म के रूप में उनका शोषण करते हैं।
 - तस्कर खाड़ी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप में भारतीय नागरिकों का शोषण करते हैं।

मानव तस्करी से निपटने हेतु भारत द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

संवैधानिक और वधायी प्रावधान:

- भारतीय संवैधान का अनुच्छेद 23(1): इसके तहत मानव तस्करी और बलात् शर्म को प्रतिषिद्ध किया गया है।
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA): यह वाणजियिक यौन शोषण हेतु होने वाली तस्करी को रोकने पर केंद्रित है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: यह यौन शोषण, दासता और अंग निकालने हेतु की जाने वाली मानव तस्करी को रोकने पर केंद्रित है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012: यह बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से बचाने पर केंद्रित है।

उठाए गए कदम:

- तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (ATC): तस्करी रोधी कार्रवाईयों के समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित।
- मानव तस्करी रोधी इकाइयों (AHTU): गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी पर कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया से निपटने के लिये AHTU की स्थापना की है, जिसमें वधायी, कल्याण और प्रचार संबंधी पहलू शामिल नहीं हैं, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के वषिय हैं।
- मशिन वात्सल्य कार्यक्रम: यह तस्करी सहित अपराध के शिकार बच्चों को सहायता प्रदान करता है।
- क्षमता निर्माण और जागरूकता: मानव तस्करी के संबंध में न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिये कार्यशालाओं और न्यायिक संगोष्ठियों के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तस्करी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:

- **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन: संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (United Nations Convention on Transnational Organised Crime- UNCTOC)** में **मानव तस्करी**, वशियकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड के लिये एक प्रोटोकॉल शामिल है।
 - भारत ने कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया तथा मानव तस्करी संबंधी प्रोटोकॉल के अनुरूप **अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** को क्रियान्वित किया।
 - हालाँकि UNCTOC "संगठित अपराधिक समूह" को परभाषित करता है, लेकिन "संगठित अपराध" के लिये कोई परभाषा नहीं देता है। स्पष्ट परभाषा का अभाव सेक्स ट्रेफिकिंग जैसे संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सारक कन्वेंशन:** भारत ने वेश्यावृत्त के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने पद्धति **एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) कन्वेंशन का अनुसमर्थन** किया है।

OCIA जैसी एजेंसी भारत में सेक्स ट्रेफिकिंग से निपटने में कैसे मदद कर सकती है?

- **वशिय जाँच इकाइयाँ:** OCIA शहरी केंद्रों और सीमाओं जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सेक्स ट्रेफिकिंग के साथ-साथ अन्य संगठित अपराधों को लक्षित करने के लिये इकाइयाँ बना सकता है, तथा खुफिया जानकारी जुटाने और बचाव के लिये प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैनात कर सकता है।
 - त्वरित बचाव के लिये त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किये जा सकते हैं तथा **पीड़ितों को समाज में पुनः एकीकृत करने में** सहायता के लिये पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया जा सकता है।
- **डेटा संग्रहण और खुफिया जानकारी साझा करना:** एक केंद्रीकृत डेटाबेस सक्षम हस्तक्षेप और बेहतर सूचना साझाकरण के लिये **पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग करके तस्करी के मामलों और अपराधियों पर नज़र रख सकता है।**
- **कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग:** OCIA तस्करी के मामलों पर पुलिस और सीमा बलों को प्रशिक्षित कर सकता है तथा कुशल बचाव एवं छापे के लिये **संयुक्त अभियानों का समन्वय** कर सकता है।
- **सीमा पार संचालन:** OCIA पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त संचालन, खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार तस्करी के मामलों में कानूनी सहायता के लिये काम कर सकता है।
- **जन जागरूकता अभियान:** OCIA **कमजोर आबादी को शक्ति करने के लिये अभियान चला सकता है और तस्करी गतिविधियों की सुरक्षा रीपोर्टिंग के लिये हेलपलाइन स्थापित कर सकता है।**
- **नीति समर्थन:** OCIA मज़बूत तस्करी विरोधी कानूनों का समर्थन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है, जिससे पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा तथा तस्करी के लिये कठोर दंड सुनिश्चित हो सके।
- **न्यायिक सहायता:** OCIA पीड़ितों के लिये न्यायालयों को साक्ष्य और कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे तस्करी के अभियोजन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

नषिकर्ष

भारत ने सेक्स ट्रेफिकिंग से निपटने में थोड़ी प्रगति की है, लेकिन प्रवर्तन, पीड़ित संरक्षण और कानूनी ढाँचे में प्रणालीगत चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वधिया सुधारों तथा सुसंगत नीति कार्यान्वयन के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। सरकार को तस्करी को प्रभावी ढंग से कम करने एवं अंततः समाप्त करने के लिये इन प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

?????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: भारत में सेक्स ट्रेफिकिंग और अन्य संगठित अपराधों से निपटने के लिये एक संगठित अपराध जाँच एजेंसी की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये तथा ऐसे मुद्दों से निपटने में विशेष एजेंसियों की भूमिका पर प्रकाश डालिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????

प्रश्न: संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन वदिश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (2018)